न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुरसिटी
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
7/2023	19.1.2023	5-11-2024

हरकेश पुत्र रामसहाय, मीना निवासी बिनेगा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र हरिप्रसाद, मीना निवासी बिनेगा तहसील गंगापुर सिटी
2. प्रबंधक,स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा औद्योगिकक्षेत्र सालोदा
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री मो0 इस्लाम खान, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के पिता रामसहाय पुत्र भौरया जाति मीना निवासी बिनेगा तहसील गंगापुर सिटी ने प्रतिवादी के बाबा विशन्या पुत्र रामदेव जाति मीना निवासी बिनेगा से उसकी खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा, 314 रकबा 7 विस्वा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1978 को क्रय की थी। क्रय करने के कुछ समय उपरान्त ही तहसील गंगापुर सिटी में सेटलमेंट की कार्यवाही चालू हो गई। दौराने सेटलमेंट नामान्तरकरण की कार्यवाही रोक दी जाती है क्योंकि रिकार्ड सेटलमेंट कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहता है तथा सेटलमेंट विभाग को नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं रहता है इसलिए ही उस समय नामान्तरकरण की कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी। वादी के पिता ने जो भूमि क्रय की थी साबिक ख0नं0 314 के सेटलमेंट में नवीन नम्बर 657 रकबा 0.17 है0 तथा 314 के नवीन नम्बर 658 कायम किए हैं लेकिन उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादी के पिता के नाम दर्ज कर दिया है तथा प्रतिवादी के मृतक पिता हरिप्रसाद द्वारा वादी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त भूमि को प्रतिवादी बैंक के यहां गिरवी रख दिया । वादी ने जब इसका उलाहना प्रतिवादी को दिया तो प्रतिवादी वादी को आश्वासन देता रहा कि वह जल्दी ही भूमि को बैंक से बागुजास्त करवा लेगा तथा भूमि को तुम अपने नाम करवा लेना लेकिन काफी लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रतिवादी ने वादी की भूमि को रहन से बागुजास्त नहीं करवाया तो वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 6.10.2022 को भूमि बैंक से बागुजास्त करवाने को कहा तो प्रतिवादी ने वादी को कोई संतोषप्रद जबाब नहीं दिया इसलिए वादी को यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि साबिक ख0नं0 315 से बने नये नम्बर 657 तथा 314 से बने नये नम्बर 658 को प्रतिवादी के पिता हरिप्रसाद का नाम हजफ किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

जाकर वादी के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह सेटलमेंट विभाग वालों की उक्त गलती के आधार पर उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन, वय नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया । जबाब दावे में प्रतिवादी ने अंकित किया है कि वादी के पिता रामसहाय पुत्र भौरया जाति मीना निवासी बिनेगा द्वारा प्रतिवादी के बाबा विशन्या पुत्र रामदेव जाति मीना निवासी बिनेगा से उसकी खातेदारी भूमि साबिक ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा, 314 रकबा 7 विस्वा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1978 को क्रय करना गलत अंकित किया है। प्रतिवादी के बाबा विशन्या ने वादी के पिता रामसहाय को भूमि विक्रय नहीं की न ही भूमि पर कब्जा कराया। तहसील गंगापुर सिटी में भू–प्रबन्ध का कार्य 1974 से ही चल रहा था। सन् 1978 में तो भू–प्रबन्ध का कार्य समाप्त हो चुका था और समाप्त होने के बाद भूमि के पर्चे जारी किए जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड तहसील में भेज दिए गए थे। भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान विक्रय पत्रों के आधार पर हुए हस्तान्तरण के नामान्तरकरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी। वादी ने 1978 में विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पर रोक लगी होना गलत अंकित किया है। वादग्रस्त भूमि का पर्चा सन् 78 में प्रतिवादी संख्या 1 के बाबा विशन्या के हक में जारी कर दिया था तब भी वादी ने भू–प्रबन्ध विभाग में किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया क्योंकि तथाकथित विक्रय पत्र बिल्कुल फ़र्जी है। वादी का ख0नं0 657 व 658 पर वादी का कोई कब्जा नहीं है।

जबाब दावे के विशेष विवरण में प्रतिवादी संख्या 1 ने अंकित किया है कि ग्राम बिनेगा में विशन्या मीना की खातेदारी की भूमि ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा एवं आवंटित गैरखातेदारी की भूमि ख0नं0 314 रकबा 7 विस्वा स्थित रही है। इसमें ख0नं0 315 तो विशन्या की पैत्रक आराजी रही है एवं ख0नं0 314 विशन्या को आवंटित हुई हैं । उक्त भूमि विशन्या के कब्जे काश्त की भूमि रही है। विशन्या के स्वयं के कोई लडका नहीं था केवल दो लडकियां थी। विशन्या ने अपने जीवनकाल में हरिप्रसाद मीना को गोद लिया था। इस प्रकार आराजी ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा में वादी का पिता हरि प्रसाद विशन्या के साथ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट हो गया तथा ख0नं0 315 व 314 को हरिप्रसाद ही काश्त करता रहा। विशन्या ने भूमि ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा, 314 रकबा 7 विस्वा दिनांक 23.12.1978 को रामसहाय मीना को कभी विक्रय नहीं की ना ही रामसहाय के हक में कोई विक्रयनामा तहरीर कराया ना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

पंजीयन कराया । भूमि ख0नं0 314 रकबा 7 विस्वा विशन्या की खातेदारी की भूमि न होकर गैरखातेदारी की भूमि थी और गैरखातेदारी की भूमि का विक्रय नहीं हो सकता है। ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा में वादी का पिता हरिप्रसाद 1/2 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट था। इस कारण ख0नं0 315 रकबा 16 विस्वा के सम्पूर्ण रकबे को विशन्या को किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि पर पहले विशन्या का कब्जा चला आ रहा था । विशन्या के बाद प्रतिवादी नं0 1 के पिता हरिप्रसाद का कब्जा रहा। हरिप्रसाद का भी स्वर्गवास हो चुका है। अब उक्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 का ही कब्जा चला आ रहा है। साबिक ख0नं0 315 का नवीन ख0नं0 657 रकबा 17 एयर तथा ख0नं0 314 के नये नम्बर 658 कायम हुए हैं जिन पर प्रतिवादी सं0 1 का ही कब्जा चला आ रहा है एवं उक्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ही चला आ रहा है। वादी हरकेश के पिता रामसहाय ने प्रतिवादी संख्या 1 के बाबा विशन्या के नाम से दिनांक 23.12.1978 का विक्रयनामा विक्रय मूल्य 2000/—रूपए का फर्जी बनवाकर विशन्या के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा कर तस्दीक करवा लिया जबकि विशन्या ने वादी के पिता रामसहाय को कोई जमीन नहीं बेची। इसी कारण दिनांक 23.12.1978 के बाद 45 साल व्यतीत होने के बाद भी आज तक उक्त तथाकथित विक्रयनामा दिनांक 23.12.1978 के आधार पर रामसहाय अथवा हरकेश के हक में कोई नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ है। इस प्रकार यह विक्रय पत्र आज तक एक्ट अपान नहीं हुआ है। यह विक्रयपत्र बिल्कुल फर्जी है तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। इस तथाकथित विक्रय पत्र की प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व में कभी कोई जानकारी नहीं थी। प्रतिवादी नं0 1 के पिता हरिप्रसाद को भी कोई जानकारी नहीं थी तथा प्रतिवादी नं0 1 के बाबा विशन्या को भी कोई जानकारी नहीं थी। इस तथाकथित फर्जी विक्रयपत्र की जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 को इस मौजूदा दावे में हुई है। इसकी जानकारी के बाद प्रतिवादी नं0 1 ने इस फर्जी विक्रयनामा की जानकारी होने के बाद इसको निरस्ती का दावा सिविल न्यायालय गंगापुर सिटी में प्रस्तुत कर दिया है। इस प्रकार सिविल न्यायालय में दावा लम्बित रहते हुए यह दावा चलने योग्य नहीं है। इस तथाकथित फर्जी विक्रयपत्र के आधार पर वादी प्रतिवादी सं0 1 को बेदखल करने पर उतारू हो रहा है। प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त भूमि में इस साल बाजरा की फसल काश्त की थी जो खराब हो गई। इसके बाद प्रतिवादी सं0 1 दिनांक 1.9.2023 को उक्त भूमि पर जोत लगाने गया तो वादी खेतों पर आ गया और कहने लगा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा भी कर रखा है। अब तुम्हें जमीन से बेदखल करेंगे और जबरन प्रतिवादी सं0 1 को जोत लगाने में मजाहमत पैदा की। वादी को कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 के पिता ने प्रतिवादी सं0 2 के से के0सी0सी0 बनवा कर लोन लिया था और यह लोन प्रतिवादी सं0 1 के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:43:34 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

ने अपने जीवनकाल में ही ले लिया था जिसकी वादी को पूरी तरह जानकारी है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता द्वारा जब बैंक से लोन लिया उस समय भी किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं की। यदि वादी की रजिस्ट्री वयनामा सही होता तो वादी तत्समय ही बैंकिंग संस्था के यहां तथाकथित विक्रयनामे के आधार पर आपत्ती प्रस्तुत करता। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा वादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो हाल ख0नं0 657 रकबा 17 एयर व 658 रकबा 10 एयर ग्राम विनेगा तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मजाहमत पैदा न करें तथा प्रतिवादी सं0 1 को बेदखल नहीं करें तथा खर्चा मुकदमा व अन्य प्रतिकार जो बहक प्रतिवादी नं0 1 हो वादी से दिलाया जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039, नकल जमाबंदी सं0 2029 से 2032, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाब दावा एवं काउन्टर क्लेम के समर्थन में फोटोकोपी नकल राजीनामा, नकल आदेशिका व डिक्री दिनांक 9.7.2024 न्यायालय सिविल न्यायाधीश गंगापुर सिटी प्रस्तुत किए हैं।

दिनांक 10.7.2024 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। हरकेश के पिता रामसहाय के हक में मुकेश के बाबा विशन्या ने भूमि साबिक ख0नं0 315 व 314 ग्राम विनेगा की रजिस्ट्री कराई थी वह निरस्त हो चुकी है तथा मूल रजिस्ट्री पर निरस्ती का नोट डालकर प्रतिवादी मुकेश को वापिस लौटा दी है। साबिक ख0नं0 314 व 315 के हाल ख0नं0 657, 658 से वादी का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहेगा। इस भूमि पर प्रतिवादी मुकेश का ही कब्जा है। जिसके बाबत् पक्षकारों के मध्य 500/– रू0 के स्टाम्प पर लिखापढी भी हो चुकी है। अतः बरूए राजीनामा दावा वादी खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर वादी को पाबंद फरमाया जावे कि भूमि ख0नं0 657, 658 ग्राम विनेगा तहसील गंगापुर सिटी प्रतिवादी मुकेश की खातेदारी व कब्जे की रहेगी। वादी इस भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवादी के साथ मजाहमत पैदा नहीं करेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पक्षकारों द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किए के बाद दावे में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का दावा खारिज करने एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम विनेगा के अनुसार वादग्रस्त भूमि हरिप्रसाद पुत्र विशन्या जाति मीना की खातेदारी में दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश के पिता हैं। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे में भूमि ख0नं0 657 व 658 ग्राम विनेगा प्रतिवादी मुकेश की खातेदारी व कब्जे में रहने तथा इस भूमि के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण के साथ वादी द्वारा मजाहमत पैदा नहीं करने का अंकन किया गया है। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार प्रस्तुत वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0नं0 657 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 658 रकबा 0.10 है0 ग्राम विनेगा के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश को कोई मजाहमत पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 5-11-24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:34 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

हरकेश पुत्र रामसहाय, मीना निवासी बिनेगा तहसील गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. मुकेश पुत्र हरिप्रसाद, मीना निवासी बिनेगा तहसील गंगापुर सिटी
2. प्रबंधक,स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा औद्योगिकक्षेत्र सालोदा
3. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. —7/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि ख0नं0 657 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 658 रकबा 0.10 है0 ग्राम विनेगा के कब्जे काश्त में प्रतिवादी संख्या 1 मुकेश को कोई मजाहमत पैदा नहीं करें।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुत[illegible]		
मीजान			मी[illegible]		

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.19 18:12:54 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)